आप कैसे मदद कर सकते हैं

यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पारिवारिक हिंसा से पीड़ित है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं।

आप:

- उन्हें बता सकते हैं कि परिवार में हिंसा ठीक बात नहीं है
- उनको इस पुस्तिका में दी गई जानकारी प्रदान कर सकते हैं
- उनके साथ उपलब्ध सेवाओं और उनके साथ सम्पर्क कैसे किया जाए, इस बारे में बात कर सकते हैं
- उनको इन सेवाओं से सम्पर्क करने के लिए सहायता और प्रोत्साहन दे सकते हैं

यदि किसी को चोट लगी हो या खतरे में हो, तो तुरंत 111 पर पुलिस को फोन करें।

इस पुस्तिका को जातीय मामलों के कार्यालय (www.ethnicaffairs.govt.nz) और महिला मामलों के मंत्रालय (www.mwa.govt.nz) द्वारा विभिन्न जातीय समुदायों की औरतों के परामर्श में विकसित किया गया है।

निसंकोच बात करें।

मदद प्राप्त करें।

घर को सुरक्षित करें।

विभिन्न संस्कृति की औरतों और उनके परिवारों की घर में हिंसा मुक्त रहने में उनकी सहायता कैसे करें

THE OFFICE OF
ethnic affairs
Te Tari Matawaka

MINISTRY OF WOMEN'S AFFAIRS
MINITATANGA MŌ NGĀ WĀHINE

न्यूज़ीलैंड में उपलब्ध सेवाओं के बारे में

सेवाएँ हर किसी की मदद के लिए हैं - औरतें, आदमी और बच्चे - कोई मायने नहीं रखता कि उनकी भाषा या संस्कृति क्या है।

जो औरतें पारिवारिक हिंसा से परेशान हैं, वेः

- सरकारी और सामुदायिक सेवाओं से सलाह ले सकती हैं जो निशुल्क एवं गोपनीय है
- संबंध सलाह ले सकती हैं
- यदि उनके रिश्ते की स्थिति में परिवर्तन आता है तो वे अप्रवासन सलाह ले सकती हैं
- रहने के लिए अस्थायी जगह ढूँढने में मदद ले सकती हैं
- अपने, अपने बच्चों और/या अपने परिवार के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं।

न्यूज़ीलैंड में उपलब्ध सेवाएँ विश्वास और गोपनीयता को बहुत गंभीरता से लेती हैं, और सहमति के बिना किसी व्यक्ति की जानकारी को किसी के साथ नहीं बाँटतीं।

ये सेवाएँ पेशेवर टेलीफोन या आमने-सामने बात करने के लिए दुभाषिए का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।

न्यूज़ीलैंड में पारिवारिक हिंसा कानून के खिलाफ है

पारिवारिक हिंसा उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा शारीरिक, भावनात्मक या यौनिक (सैक्सुअल) रूप से चोट पहुँचाई जाती है या मार-पीट की जाती है।

ऐसा करना उचित नहीं है...

- मारना, थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, गला दबाना, लात मारना या किसी और तरीके से शारीरिक चोट पहुँचाना
- धमकाना या ब्लैकमेल करना
- यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना या यौन क्रियाएँ करना
- पैसा, भोजन, आश्रय या कपड़ा देने से इन्कार करना
- बच्चों को दूर ले जाने की धमकी देना
- परिवार या समुदाय से दूर या अलग कर देना
- उनकी इच्छा के विरुद्ध रोक कर रखना
- शादी के लिए मजबूर करना। यदि उनकी उम्र 16 साल से कम है तो ऐसा करना भी कानून के खिलाफ है।

न्यूज़ीलैंड एक लोकतन्त्र है - सभी के अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ हैं

न्यूज़ीलैंड में, हर व्यक्ति को हिंसा से मुक्त हो कर रहने का अधिकार है

इसका अर्थ है कि न्यूज़ीलैंड में रहने वाली सभी महिलाओं को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

- हिंसक रिश्ते को छोड़ देने का
- अपने बच्चों को एक सुरक्षित घरेलू वातावरण प्रदान करने का
- यदि वे कोई काम नहीं करना चाहते तो 'नहीं' कहने का
- काम करने का*
- पढ़ने का*

मदद लेने से पहले महिलाओं के लिए अपने पति या साथी को छोड़ देना जरूरी नहीं है।

सरकारी और सामुदायिक सेवाएँ विश्वास और गोपनीयता के मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेती हैं।

* अप्रवासन अथवा नागरिकता दर्जे पर निर्भर